न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2021 **दायर दिनांकः 18/08/2021**

उनवान

1. कन्या पुत्री शिवनाथ जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां
2. राजेन्द्र पुत्र शिवनाथ जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश **दिनाकः 20.01.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू में खाता संख्या 100 कुल किता 2 का रकबा 4.06 है. भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है नक़ल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवनाथ के स्थान पर शिवराम दर्ज कर रखा है तथा प्रार्थी क्रम 2 राजेन्द्र का नाम राजमल दर्ज कर रखा है। प्रार्थीगण को खाते में स्वयं का नाम व पिता का नाम गलत अंकित होने से ऋण लेने में तथा भूमि का विकास करवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक खातों में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवनाथ एवं प्रार्थी क्रम [illegible] का नाम राजेन्द्र दर्ज है। इस अनुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में [illegible] रही त्रुटियों को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू [illegible] दिनांक 16/08/202[illegible] को नाम दुरुस्ती बाबत निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान के यहाँ कार्यवाही करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम खडीला तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित ज्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवनाथ व प्रार्थी क्रम 2 का नाम राजेन्द्र बाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/43 दिनांक 07.01.2025 से रिपोर्ट भिजवायी गई, जो शामिल फाईल की गई तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहसी सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खडीला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 100, आधार कार्ड कन्या बाई, आधार कार्ड राजेन्द्र, मतदाता पहचान पत्र राजेन्द्र, राशन कार्ड राजेन्द्र व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खडीला खाता संख्या 100 का खसरा न. 153 का रकबा 0.08 है0 व खसरा न. 71 का रकबा 3.98 है0 आराजी में सहखातेदार कन्या बाई पुत्री शिवराम के स्थान पर कन्या बाई पुत्री शिवनाथ व राजमल पुत्र शिवराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र शिवनाथ किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परि[illegible]। उपलब्ध दस्तावेजो/रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested